09/03/2021

वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट उतराधिकरी वारिसान है एव उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री अपीलांट की गैर मौजूदगी में बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना पक्षकार बनाये पारित की गई है, जिसे चुनौती देने का कानूनी हक–अधिकार अपीलांट को न्यायहित में अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट ने तो खातेदार या सहखातेदार है एवं न ही अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे अपीलांट पक्षकार नहीं है तथा न ही जैर अपील निर्णय व डिक्री में पक्षकार है। ऐसी परिस्थितियो में अपीलांट को कोई हक–अधिकार प्रभावित नहीं होता है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी.पी.सी खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– (1) 2021(1) RRT 246 Shambhu Singh vs Krishna Devi (2) 2021(1) RRT 19 Krishna Murthy & Anr vs Ravi kumar & Ors. Etc. Etc

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर अपील निर्णय व डिक्री में अपीलांट पक्षकार नही है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मे अपीलांट पक्षकार नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का न तो खातेदार है एवं न सहखातेदार है। ऐसी परिस्थितियो में अपीलांट को जैर अपील निर्णय व डिक्री से कोई हक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। विधिक प्रावधान भी अपीलांट के विपरित है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के स्तर से कोई न्यायिक राहत नहीं दी जा सकती है। इस संबध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा 2021(1) RRT 246 Shambhu Singh vs Krishna Devi में यह प्रतिपादित किया गया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908–धारा 96– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 230–राजस्व अपील प्राधिकारी ने धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र खारिज किया–प्रार्थी तृतीय पक्षकार है तथा अपील पेश करने की अनुमति चाही–विभाजन हेतु वाद में अन्तिम डिक्री पारित की–प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार अथवा सह–खातेदार नहीं है और न उसे भूमि का खातेदार घोषित करने हेतु कोई वाद पेश किया–सह–खातेदारो के बीच विभाजन की डिक्री को चुनौती देने का प्रार्थी हकदार नहीं है–प्रार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है और विभाजन डिक्री को आक्षेपित नहीं कर सकता–निर्णीत, आदेश में अवैधता या क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है तथा यथावत रखा।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया लागू होता है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं जैर अपील निर्णय व डिक्री में पक्षकार नहीं था, जिससे प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार की न्यायिक राहत दिया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा वादग्रस्त आराजी में से रेस्पोडेन्ट को उनके हक–हिस्से कम भूमि जैर अपील निर्णय व डिक्री में रेस्पोडेन्टगण के बंट में आई है तथा शेष भूमि के संबध मे अपीलांट ने कोई वाद या कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियो में अपीलांटगण को जैर अपील निर्णय व डिक्री से कोई हक–अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूत व गवाहो के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिसमे हमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी.पी.सी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेकर्ड भेजा गया
454
2/7/21